| |
|---|
| दिनांक 26.05.2025 |
| प्रेस विज्ञप्ति 44/2025 |

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

## एस0टी0एफ0ः—जनपद—कौशाम्बी में नाबालिग बच्चे का अपहरण कर फिरौती मांगने वाले गिरोह का सरगना व 50,000/— रू0 का पुरस्कार घोषित अभियुक्त शिवबाबू मौर्या गिरफ्तार।

दिनांक 26—05—2025 को एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को थाना सैनी, जनपद कौशाम्बी पर पंजीकृत मु0अ0सं0—121/2025 धारा—140(2)/140(3)/351(3)/3(5) बी0एन0एस0 में वांछित एवं 50,000/—रू0 के पुरस्कार घोषित अभियुक्त शिवबाबू मौर्या को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः—**

शिवबाबू मौर्या पुत्र राम गोपाल, निवासी पिपरकुण्डी पो0 गुआरा, थाना करारी, जनपद कौशाम्बी।

**गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः—**

रोडवेज बस अड्डा सैनी के पास, थाना क्षेत्र सैनी जनपद कौशाम्बी, दिनांकः 26—05—2025, समय 01:20 बजे रात्रि।

एसटीएफ उ0प्र0 को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों द्वारा सक्रिय आपराधिक घटनाएँ कारित करने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एसटीएफ की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री शैलेश प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक के पर्यवेक्षण में निरीक्षक श्री जय प्रकाश राय, एसटीएफ फील्ड इकाई प्रयागराज के नेतृत्व में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

एसटीएफ प्रयागराज की टीम जनपद कौशाम्बी थाना क्षेत्र सैनी में वांछित व पुरस्कार घोषित अभियुक्तों की तलाश/अभिसूचना संकलन में भ्रमणशील थी। इस दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि थाना सैनी में पंजीकृत मु0अ0सं0—121/2025 में

वांछित एवं 50,000/–रू0 के पुरस्कार घोषित अभियुक्त शिवबाबू मौर्या रोडवेज बस अड्डा सैनी के पास मौजूद है तथा कहीं बाहर भागने की फिराक में है। मुखबिर द्वारा दी गयी सूचना पर विश्वास कर उपनिरीक्षक श्री रणेन्द्र कुमार सिंह, मुख्य आरक्षीगण प्रभन्जन पाण्डेय, रोहित सिंह, संतोष कुमार, किशनचन्द्र व आरक्षी चालक अखण्ड प्रताप पाण्डेय की टीम द्वारा रोडवेज बस अड्डा, थाना क्षेत्र सैनी जनपद कौशाम्बी से अभियुक्त शिवबाबू मौर्या उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त शिवबाबू मौर्या उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि वह डी–फार्मा की पढ़ाई भोपाल से पूरी करने के बाद गॉव में ही प्रैक्टिस कर रहा था। उसकी दोस्ती गुड्डू यादव पुत्र राम प्रताप निवासी ग्राम अमुरा, थाना करारी जनपद कौशाम्बी से हुई। गुड्डू यादव अपने दोस्त सुभाष चन्द्र विश्वकर्मा पुत्र राम सिंह निवासी चक सैय्यद अलीपुर थाना करारी जनपद कौशाम्बी, अमित यादव पुत्र अजय सिंह निवासी ग्राम अड़हरा थाना करारी जनपद कौशाम्बी व अरविन्द यादव निवासी टेवा, जनपद कौशाम्बी से मुलाकात करायी। जिनके साथ इसका भी उठना बैठना शुरू हो गया। इसी दौरान इन लोगों को ज्ञात हुआ कि अरविन्द यादव के पुराने दोस्त भारत लाल विश्वकर्मा के पिता रामशिरोमणि विश्वकर्मा 80 लाख रूपये की जमीन बेंचे है। इसी लालच में आकर यह लोग मिलकर रामशिरोमणि के नाबालिक पुत्र प्रतीक विश्वकर्मा उर्फ रितिक विश्वकर्मा का अपहरण करने की योजना बनाये और रैकी करना शुरू कर दिया। घटना को अंजाम देने के लिये अरविन्द यादव ने एक गाड़ी की व्यवस्था किया तथा सभी लोगों को अलग–अलग काम बांट दिया। शिवबाबू मौर्या द्वारा योजनाबद्ध तरीके से दिनांक 05–04–2025 की रात्रि में बरामदे में सो रहे प्रतीक विश्वकर्मा उर्फ रितिक विश्वकर्मा को दवा सुंघाकर बेहोश करके अपहरण कर लिया गया और वहॉ पर फिरौती हेतु 25 लाख रूपये की एक पर्ची रख दिया गया। उक्त अपहरण की घटना के सम्बन्ध में थाना सैनी, कौशाम्बी में अभियोग पंजीकृत हुआ था। स्थानीय पुलिस द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 व्यक्तियों (सुभाष विश्वकर्मा, अमित यादव एवं गुड्डू यादव) को गिरफ्तार जेल भेजा जा चुका है। इस घटना के मास्टर माइण्ड शिवबाबू मौर्या के गिरफ्तारी हेतु रू0 50 हजार का

पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तारी से बचने के उद्देश्य से इधर–उधर लुक–छिपकर रह रहा था। जिसे एसटीएफ टीम द्वारा आज गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त शिवबाबू मौर्या उपरोक्त को मु0अ0सं0–121/2025 धारा–140(2)/140(3)/351(3)/3(5) बी0एन0एस0 में थाना सैनी जनपद कौशाम्बी में दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा अमल में लायी जायेगी।

**<u>ए0एन0टी0एफ0/आपरेशनल यूनिट मेरठ</u>**

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 61 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 122 किलोग्राम अवैध गांजा**
- **05 हजार 100 रूपये नगद**
- **01 बुलेरो वाहन**
- **01 मोटर साइकिल**
- **05 मोबाइल फोन आदि बरामद**

दिनांक 25.05.2025 को ऑपरेशनल यूनिट मेरठ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बागपत फ्लाई ओवर के पास से 05 अभियुक्तों 1– जोनी कुमार 2– जतिन कुमार 3–अनिकेत 4–अनुज कुमार 5–रचित कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 61 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 122 किलोग्राम अवैध गांजा, 05 हजार 100 रूपये नगद, 01 बुलेरो वाहन, 01 मोटर साइकिल, 05 मोबाइल फोन आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना ट्रांसपोर्ट नगर जनपद मेरठ पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>**

1–जोनी कुमार निवासी ग्राम जलालपुर थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।

2–जतिन कुमार निवासी पेलखा थाना गढी जनपद शामली।

3–अनिकेत निवासी ग्राम गढी सखावतपुर थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर।

4–अनुज कुमार निवासी ग्राम आदमपुर थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर।

5–रचित कुमार निवासी रामजी नगर बस्ती कैहरई, थाना ताजगंज कमिश्नरेट आगरा।

**बरामदगी**

1–लगभग 61 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 122 किलोग्राम अवैध गांजा।

2–05 हजार 100 रूपये नगद।

3–01 बुलेरो वाहन।

4–01 मोटर साइकिल।

5–05 मोबाइल फोन आदि।

**जनपद हाथरस/थाना सादाबाद**

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटनाओं का अनावरण**
- **चोरी के लगभग 34 लाख रूपये (कीमत) के पीली–सफेद धातु के आभूषण**
- **01 लाख 03 हजार रूपये नगद बरामद**

दिनांक 26.05.2025 को थाना सादाबाद व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर धनौली तिराहा के पास से 02 अभियुक्तों 1–समीर 2–रिहान को गिरफ्तार कर चोरी की घटनाओं का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के लगभग 34 लाख रूपये (कीमत) के पीली–सफेद धातु के आभूषण, 01 लाख 03 हजार रूपये नगद बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना सादाबाद क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सादाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित ळें

इस सम्बन्ध में थाना सादाबाद पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1—समीर निवासी रायपुर थाना रोरावर जनपद अलीगढ़।

2—रिहान निवासी मोहल्ला सलारपुर थाना फेस—2 कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

**बरामदगी**

1—चोरी के लगभग 34 लाख रूपये (कीमत) के पीली—सफेद धातु के आभूषण।

2—01 लाख 03 हजार रूपये नगद।

## जनपद आजमगढ़/थाना सिधारी

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटनाओं का अनावरण**
- **लगभग 02 लाख 50 हजार रूपये (कीमत) के पीली—सफेद धातु के आभूषण**
- **08 हजार रूपये नगद**
- **01 मोबाइल फोन**
- **01 ऑटो वाहन आदि बरामद**

दिनांक 25.05.2025 को थाना सिधारी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से अभियुक्त अंशुल प्रताप उर्फ लकी को गिरफ्तार कर चोरी की घटनाओं का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 02 लाख 50 हजार रूपये (कीमत) के पीली—सफेद धातु के आभूषण, 08 हजार रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन, 01 ऑटो वाहन आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना सिधारी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोर द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सिधारी पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना सिधारी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1—अंशुल प्रताप उर्फ लकी निवासी ग्राम गजहड़ा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

**बरामदगी**

1—लगभग 02 लाख 50 हजार रूपये (कीमत) के पीली—सफेद धातु के आभूषण।

2—08 हजार रूपये नगद।

3—01 मोबाइल फोन।

4—01 ऑटो वाहन आदि।

## जनपद मथुरा/थाना जैत

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **घटना में प्रयुक्त ऑटो**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 26.05.2025 को थाना जैत/थाना हाईवे/थाना नौहझील व स्वाट टीम की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नेशनल हाइवे—19 पर नाले की पटरी के पास बदमाशों की घेराबंदी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—हरिराम 2—विशाल घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से घटना में प्रयुक्त ऑटो, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस सम्बन्ध में थाना जैत पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1—हरिराम निवासी धम्मपथ का पुरा थाना बिम्नी मुरैना, मध्य प्रदेश।

2—विशाल निवासी राजीव नगर थाना ताजगंज, आगरा।

**बरामदगी**

1–घटना में प्रयुक्त ऑटो।

2–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस

**जनपद मऊ/थाना कोतवाली नगर**

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **20 कुन्तल 04 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा**
- **01 डीसीएम वाहन आदि बरामद**

दिनांक 25.05.2025 को थाना कोतवाली नगर/स्वाट टीम, सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पूरब मोहल्ला ख्वाजाजहांपुर के पास से अभियुक्त सभाजीत को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 20 कुन्तल 04 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा, 01 डीसीएम वाहन आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–सभाजीत निवासी दुल्हापुर थाना दोस्तपुर जनपद सुल्तानपुर।

**बरामदगी**

1–20 कुन्तल 04 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा।

2–01 डीसीएम वाहन आदि।

**जनपद सोनभद्र/थाना घोरावल**

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 50 लाख रूपये (कीमत) के 500 ग्राम अवैध हेरोईन**
- **03 मोबाइल फोन**
- **नगद रूपये बरामद**

दिनांक 25.05.2025 को थाना घोरावल व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कर्री बरांव मोड से 02 अभियुक्तों 1– पुष्पराज उर्फ श्याम

2—आफताब को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 50 लाख रूपये (कीमत) के 500 ग्राम अवैध हेरोईन, 03 मोबाइल फोन, नगद रूपये बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त पुष्पराज उर्फ श्याम के विरूद्ध जनपद सोनभद्र के विभिन्न थानों पर एनडीपीएस एक्ट आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना घोरावल पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1—पुष्पराज उर्फ श्याम निवासी जैक थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र।

2—आफताब निवासी बहुअरा पुरानी बस्ती थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र।

**बरामदगी**

1—लगभग 50 लाख रूपये (कीमत) के 500 ग्राम अवैध हेरोईन।

2—03 मोबाइल फोन।

3—नगद रूपये।

- **जनपद बहराइच/थाना रिसिया (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 60 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बहराइच पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बहराइच द्वारा थाना रिसिया पर पंजीकृत अभियोग में धारा 506 भादवि व 4(2) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त मुख्तार उर्फ युनूस उर्फ युसूफ को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 60 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

| |
|---|
| **दिनांक 26.05.2025** |
| **प्रेस विज्ञप्ति 45/2025** |

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

## पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में पुलिस कर्मियों की समस्याओं के त्वरित एवं पारदर्शी निस्तारण हेतु जनपद सुलतानपुर में पुलिस ग्रीवांस रिड्रेसल यूनिट (P.G.R.U.) का किया गया गठन

**श्री प्रशान्त कुमार,** पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर द्वारा एक नई पहल करते हेतु पुलिस कर्मियों की समस्याओं के त्वरित एवं पारदर्शी तरीके से निस्तारण हेतु पुलिस ग्रीवांस रिड्रेसल यूनिट (P.G.R.U.) का गठन किया गया।

यह इकाई पुलिस कर्मियों की समस्याओं को SINGLE WINDOW SYSTEM के पैटर्न पर निस्तारित करने के लिए पुलिस कार्यालय में पुलिस अधीक्षक के सीधे पर्यवेक्षण में गठित की गई है।

1- इस यूनिट के प्रभारी, पुलिस सम्बन्धी समस्याओं के सम्बन्ध में जानकारी रखने वाले एक भिज्ञ निरीक्षक है, जिनका सी.यू.जी. नम्बर 7755068810 है।

2- इस यूनिट के माध्यम से कोई भी पुलिस कर्मी अपनी विभिन्न समस्याओं (जैसे वेतन विसंगति, एरियर भुगतान, इन्क्रीमेन्ट, जी.पी.एफ. सम्बन्धी, कैरेक्टर रोल में नॉमिनी/पता/शिक्षा अभिलेखों का अंकन या परिवर्तन, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, स्थानान्तरण पर चरित्र पंजिका, एल.पी.सी आदि समय से न आना, सेवा संबंधी समस्याएँ आदि) का निस्तारण करा सकते है।

3- पुलिसकर्मी अपनी समस्याएँ निम्नांकित तरीकों से इस यूनिट तक पहुँचा सकते हैं–

(i) थाना प्रभारी/शाखा प्रभारी के माध्यम से प्रार्थना पत्र इस यूनिट को भिजवाकर

(ii) किसी भी पुलिस राजपत्रित अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर

(iii) मासिक सैनिक सम्मेलन के दौरान प्रार्थना पत्र देकर

(iv) सीधे ही इस यूनिट को प्रार्थना पत्र देकर

(v) PGRU के वाट्सएप्प नम्बर 7755068810 पर प्रार्थना पत्र भेजकर

5- पुलिस कर्मियों द्वारा बताई गयी समस्याओं का त्वरित निस्तारण कराने की जिम्मेदारी PGRU प्रभारी की है, जिससे **सम्बन्धित पुलिसकर्मी को किसी भी शाखा या कार्यालय का भ्रमण करने की आवश्यकता** नहीं है। प्रभारी PGRU ही उन समस्त शाखाओं से सम्पर्क करते है, जिनका सम्बन्ध पुलिस कर्मी की समस्या से है। आवश्यकता पड़ने पर गैर जनपद के पुलिस कार्यालय तथा अन्य कार्यालयों से भी सम्पर्क करते है। आवश्यकता प्रतीत होने पर पुलिस अधीक्षक द्वारा भी सम्बन्धित जनपदों से वार्ता एवं पत्राचार कर पुलिस कर्मी की समस्या का त्वरित निदान कराया जाता है।

6- PGRU प्रभारी प्रतिदिन पुलिस अधीक्षक के समक्ष समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रगति से अवगत कराते हैं।

7- PGRU प्रभारी द्वारा पुलिस कर्मी की समस्या का निस्तारण कराने के बाद सम्बन्धित पुलिस कर्मी को फोन द्वारा अवगत भी कराया जाता है।

8- इस यूनिट द्वारा समय समय पर विभिन्न थानों/पुलिस लाइन/कार्यालय में कैंप लगाकर पुलिस कर्मियों को उनसे सम्बन्धित Welfare Schemes (कल्याणकारी योजनाओं) की भी जानकारी दी जाती है तथा उनसे जुड़ी प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में मार्गदर्शन भी दिया जाता है साथ ही कर्मचारियों की विभिन्न जिज्ञासाओं/प्रश्नों का समाधान करते हुए उनके द्वारा चाही गई सामान्य सूचनाएँ/जानकारी (जैसे – GPF बुक का अवलोकन आदि) भी उन्हें उपलब्ध करवायी जाती है। इस हेतु प्रभारी PGRU के साथ संबंधित शाखाओं (आंकिक शाखा/प्रधान लिपिक शाखा आदि) के प्रतिनिधि भी मौजूद रहते हैं ।

9- PGRU समबन्धी पैम्प्लेट थानों शाखाओं एवं पुलिस लाइन में चस्पा किये गये है।

थाना कादीपुर, सुलतानपुर PGRU कैम्प

थाना धम्मौर, सुलतानपुर PGRU कैम्प

थाना कोदेहात0, सुलतानपुर PGRU कैम्प

थाना गोसाईगंज, सुलतानपुर PGRU कैम्प

थाना मोतिगरपुर, सुलतानपुर PGRU कैम्प